

संख्या: 299 / लो0नि0-2 / 04-16(अ.अ.) / 2004

प्रेषक,

डी0 के0 पन्त,
रायवत राधिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रगारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 28, फरवरी, 2004

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2003-2004 में 237नये कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषय मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 237(सौ रीतीरा कार्यों के) आगणनो, लागत ₹016712.04 लाख के आगणन पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण पायी ₹0 16331.03 लाख (₹0एक सौ तरेराठ करोड़ इक्तीरा लाख तीन हजार मात्र) की लागत के आगणन की उनके सामुख अंकित विवरणानुसार प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष में ₹0 66.05लाख (₹0 छिगाराठ लाख पाँच हजार मात्र)की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सार्व स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें सीडमूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वनभूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम तरीकता के आधार पर की जाय, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र राक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करके, अथवा कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5. एकमुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार राक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति प्राप्त कराना आवश्यक होगा, कार्य करते समय टैण्डर विपरक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

सहायक प्रशासक

Aly

सहायक (सतुर्भ)

प्रान्तीय कृषि, जल, वन, नदीबेल

मुख्यालय - रामनगर

सौंदर्य सुधार कार्यो की पूर्ण से निरखी अन्य योजना / सारनादेश के द्वारा स्वीकृति प्रदान

हो, सो सख्त कार्य हेतु पत्रादि का आहरण नहीं किया जायेगा।

करी।
 ४. कार्य करने से पूर्व स्थल का स्थल अधिकारियों एवं युग्मवेत्ता के साथ माली गौति निरीक्षण
 अग्रेसर कर ले, निरीक्षण के पश्चात् स्थलीय आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य कि-
 जाय।

9. आमणन में जिन मदों में जो राशि रबीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक-एक करके उसी मद में लग कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तब उपयुक्त प्राप्ति जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

41. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा, कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी/ अधिशासी अभियन्ता का होगा।

12. 40002. च्यांगम कर देने से पूर्व जिन आगमनों में वजट गैनुअल/ वित्तीय हरतपुरितका के नियमों तथा अन्य प्रावधानों की आवश्यकता होती है, उनमें व्यापक करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगमनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ निरवृत्त आगमनों पर राक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2004 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

आगामी विस्तार/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय ।

20 फरवरी 2004 में भारतीय जनता पार्टी से जारी किये जा रहे हैं।

(8) 1973-1976: 0.0030; 0.0030

It was under slightly different conditions that

पानदीय,
(१७२६० पन्त)
सुगुन्ता सतिन।

1945 10/13/45 12 440 10000 3 144 10000

1971 Jan 9 1971 to 1971

विषय: विज्ञान (सूचक संख्या: 100) (सूचक संख्या: 100)

राष्ट्रीय अनुसंधान निधि, रांचीखेत.

मुख्यालय - रामनगर

५॥३॥३ / ...

175	रतूडा-गोखरी-मुनका मोटर मार्ग (एन.पी.वी. लागत सहित) लम्बाई 2.00 किमी०	38.00	34.00	0.05
176	तूना चोडा मोटर मार्ग (एन.पी.वी. लागत सहित) लम्बाई 2.00 किमी.	38.00	34.00	0.05
177	शशिखाल-तराड-जाल मोटर मार्ग का निर्माण । लम्बाई 25.00 किमी.	347.50	347.50	1.00
178	कारगेल शहीद आनन्द सिंह रावत के गाँव गिवाइपानी को मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 2.00 किमी.	27.80	27.80	0.05
179	भोपना-कोला-तरणकुना-गोहाली मोटर मार्ग का निर्माण सेतु सहित लम्बाई 17.00 किमी., 60 मी० सेतु ।	301.00	301.00	1.00
180	रापण-गगोडा-पद्मगांव मोटर मार्ग का निर्माण । लम्बाई 7.00 किमी.	97.30	97.30	0.10
181	अमृतपुर-जमरानी मोटर मार्ग ल० 2.80 किमी.	28.56	28.56	0.05
182	पलडा से देवनगर तक मोटर मार्ग । लम्बाई 6.00 किमी०	83.40	83.40	0.10
183	गैण्डखाल गंजकोट नागराजाधार हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना । लम्बाई 2.00 किमी०	10.80	7.00	0.05
184	रामपुर-कुन्तीगाड मार्ग निर्माण लम्बाई 3.00 किमी०	41.70	41.70	0.05
185	खीडा रो खजुरानी मार्ग निर्माण लम्बाई 2.00 किमी०	27.80	27.80	0.05
186	दुरना से बुडडा रूला मार्ग निर्माण लम्बाई 1.00 किमी०	13.90	13.90	0.05
187	चौखुटिया गौरी मोटर मार्ग का डगरीकरण लम्बाई 2.00	29.30	29.30	0.05
188	दडगाड में मोटर सेतु का निर्माण लम्बाई 40 मी०	54.00	50.00	0.10
189	दुगातेख - शरियापाटा हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करना । लम्बाई 4.00 किमी०	21.60	14.00	0.05
190	रंगेश्वर बेंड से गोवर्सा चौकी भाणा गाँव-पातली गाँव मार्ग का विस्तार । लम्बाई 5.00 किमी०	69.50	69.50	0.10
191	बलगरा-गोदाणी के बीच गौरी नदी पर झूला पुल का निर्माण लम्बाई 90 मी०	100.00	100.00	0.50
192	लमगाडा-गोतियापाथर मोटर मार्ग में चौखुटिया से तल्ला लमकोट (पथरिया लोक) तक पैदल सी.सी. मार्ग निर्माण । लम्बाई 3.00 किमी०	24.00	21.00	5.00
193	जनापुर पौडी में रात्यखाल से मुडदौडी इंजीनियरिंग कालेज तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 4.00 किमी.	55.60	55.60	1.00
194	नालीखाल-बनचूरी मोटर मार्ग में चौखाल से कुसाख्यत मार्ग से ग्राम परन्दा तक अक्कोष भाग का निर्माण लम्बाई 1.00 किमी.	10.20	10.20	3.00
195	रामाडी में गैररीण से शोनियाणा धारगेड-रसूडी होते हुए आगर चट्टी तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 20.00 किमी.	288.00	278.00	5.00
196	रुडका में राज-दुनगर प्रेस कालोनी के पीछे श्री सुशील शमलाल को मकान से पनियाला मार्ग पर आज्ञाद नगर चौखाल तक राजका में नाली का निर्माण कार्य । लम्बाई किमी० 1.69 लम्बाई किमी.	35.40	35.40	0.05

सहायक

राज्यीय विकास, राजीव
मुख्यालय - रामनगर

